

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 39]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सं. 511/2/1/2015-मंत्रि.—मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं. 511/2/1/2015-मंत्रि. तारीख 1 जनवरी, 2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 7 जनवरी, 2015 में प्रकाशित किया गया था, के पैरा 13 के, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(ख) शासी परिषद्, जिसमें सभी राज्यों और विधान मंडलों से युक्त संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के उप-राज्यपाल शामिल होंगे;”।

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 16th February, 2015

No. 511/2/1/2015-Cab.—In the resolution of the Cabinet Secretariat *vide* No. 511/2/1/2015-Cab., dated 1st January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th January, 2015, in paragraph 13, for item (b), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Governing Council comprising the Chief Ministers of all the States and Union Territories with Legislatures and Lt. Governors of other Union Territories.”

SANJUKTA RAY, Director